

LM-107

Judicial Process

(न्यायिक प्रक्रिया)

Master of Law (LLM-12/16/17)

Second Year, Examination, 2018

Time : 3 Hours

Max. Marks : 80

Note : This paper is of **eighty (80)** marks containing **three (03)** Sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section-A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of nineteen (19) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं।
प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं।
शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What do you understand by 'Judicial Process' ? Do you agree that judicial process has developed some finest principles of rule of law and improved the quality of life in India ? Discuss.

‘न्यायिक प्रक्रिया’ से आप क्या समझते हैं ? क्या आप सहमत हैं कि न्यायिक प्रक्रिया ने भारतवर्ष में विधि के शासन के कुछ अनुपम सिद्धान्त विकसित किए हैं तथा जीवन-स्तर को सुधारा है ? विवेचना कीजिए।

2. “Public interest mechanism has helped the judiciary in spreading its wings to those fields which had so far remained untouched.” Analyse and explain its utility with the help of decided cases.

“जनहित मुकदमों की क्रियाविधि ने न्यायपालिका को उन क्षेत्रों में भी अपने पंख फैलाने में सहायता की है जो अभी तक अछूते रहे हैं।” निर्णीतवादों की सहायता से विश्लेषण एवं विवेचना कीजिए।

3. “The fact that the judiciary has a say in the matter of amendment of the constitution is the most notable aspect of the doctrine of basic structure.” Elucidate.

“यह तथ्य कि संविधान के संशोधन के विषय में न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, आधारभूत ढाँचे का सिद्धान्त एक उत्कृष्टतम पहलू है।” सविस्तार व्याख्या कीजिए।

4. Write a note on 'the concept and various theories of justice in the Western thought'.

‘न्याय की अवधारणा एवं पश्चिमी विचारधारा में उसके विभिन्न सिद्धान्तों’ पर एक लेख लिखिए।

Section-B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section ‘B’ contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड ‘ख’ में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. “Judicial process is an instrument of social ordering.” Discuss the statement in the light of Supreme Court decisions.
“न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था का एक औजार है।” उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के प्रकाश में इस कथन का वर्णन कीजिए।
2. Define the terms ‘Stare decisis’, ‘Ratio decidendi’ and ‘Obiter dicta’.
‘निर्णयानुसार’, ‘विनिश्चय आधार’ तथा ‘इतरोक्ति’ शब्दों को परिभाषित कीजिए।
3. “No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself.” Explain with the help of decided cases.

“किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।” निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

4. Write a note on ‘Independence of Judiciary’.
‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ पर एक लेख लिखिए।
5. ‘The right to equality in the Constitution of India is not merely a negative right, not to be discriminated against but also a positive right to be treated as an equal.’ Explain.
‘भारतीय संविधान में समानता का अधिकार भेदभाव न किये जाने का मात्र नकारात्मक अधिकार नहीं है बल्कि समान रूप से व्यवहार करने का सकारात्मक अधिकार भी है।’ स्पष्ट कीजिए।
6. Examine the law relating to reservation in promotion in context to recent judicial decision.
प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी विधि का वर्तमान न्यायिक निर्णयों के आलोक में परीक्षण कीजिए।
7. State the manner in which the Judges of the Supreme Court are appointed.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, बताइए।
8. Explain the relationship between ‘Law and Justice’.
‘विधि एवं न्याय’ के मध्य सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिए।

Section-C / खण्ड-ग**(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)**

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this Section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the blanks :

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. Jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged by

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि द्वारा की जा सकती है।

2. The Supreme Court of India can review its decision under Article

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन अनुच्छेद के अधीन कर सकता है।

3. 'Doctrine of Prospective overruling' was for the first time applied by the Supreme Court of India in the case of

'भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धान्त' को सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने वाद में लागू किया था।

4. 'Preamble is part of the Constitution' is the pronouncement of the Supreme Court in the case of

‘प्रस्तावना संविधान का एक अंग है,’ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद में अभिनिर्धारित किया गया है।

5. 'Public Interest Litigations' are entertained by Supreme Court under Article

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद के अन्तर्गत 'लोक हित वादों' का विचारण होता है।

6. A Judge of the Supreme Court can be removed from this office on the ground(s) of

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आधारों पर उसके पद से हटाया जा सकता है।

7. A citizen of India who, in the opinion of the President of India is a 'distinguished jurist' can be appointed as a Judge of

भारत का नागरिक, जो भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है, को न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।

8. Article of the Constitution provides that the Supreme Court shall be a Court of record.

संविधान का अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा।

9. Article 136 of the Constitution provides for the right to appeal in Supreme Court by

संविधान के अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा अपील का प्रावधान है।

10. The Supreme Court of India has traced the 'right to privacy' in Article of the Constitution.

सर्वोच्च न्यायालय ने 'निजता के अधिकार' को भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सन्निहित माना है।